

गंभीर कुपोषण से नपिटने के लिये पोषण मानदंड

चर्चा में क्यों?

भारत की शीर्ष पोषण समिति, राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड (National Technical Board on Nutrition- NTBN) ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन से संबंधित मानदंड जारी करने की सफारिश की है।

NTBN की सफारिशें

- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, दाल और सब्जियों से तैयार ताज़ा भोजन तथा आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा वितरित किया गया पौष्टिक आहार खिलाना चाहिये।
- छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चों को दिया जाने वाला भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त खाद्य सामग्री से तैयार किया जाना चाहिये।
- सफारिशों के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्रों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता तथा गर्म ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना होगा।
- इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और कंद, वटामिन सी से समृद्ध फलों के साथ-साथ ताज़ा दूध और हर सप्ताह 3-4 अंडे भी दिया जाना नरिधारित किया गया है। इस प्रकार का भोजन स्थानीय स्वयं-सहायता समूहों, माँ या ग्रामीण समितियों द्वारा तैयार किया जाना चाहिये।
- दशा-नरिदेशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उन्हें नकिटतम स्वास्थ्य सुविधा या पोषण पुनरवास केंद्रों में भेजने के लिये आंगनवाड़ी शर्मिकों और सहायक नर्स मडिवाइफ़ (ANM) की भूमिका तय की गई है।
- शेष बच्चों को 'समुदाय आधारित प्रबंधन' के तहत नामांकित किया गया है, जिसमें पोषण संबंधी परावधान, परगतकी नरितर नगिरानी, एंटीबायोटिक दवाओं पर नरितरण और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ-साथ परामरश सत्र और पोषण तथा स्वास्थ्य शकिषा परदान करना शामिल है।
- ये उपाय कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिये 'समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन' का हसिसा है। सरकार ने अब तक केवल गंभीर रूप से कुपोषित ऐसे बच्चों जनिका चकितिसकीय उपचार जटलि है, को अस्पताल में भरती करने के लिये दशा-नरिदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कसरकार द्वारा इन दशा-नरिदेशों को वर्ष 2011 में सार्वजनिक किया गया था।
- राष्ट्रीय परवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, भारत में 5 साल से कम आयु के 7.5% या 8 मलियन बच्चे गंभीर रूप से वेस्टगि जैसी समस्या से पीड़ित हैं।

राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड (National Technical Board on Nutrition- NTBN)

- भारत सरकार ने पोषण संबंधी नीतगित मामलों पर तकनीकी सुझाव देने के लिये 2017 में पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड की स्थापना करने का नरिणय लया था।
- बोर्ड की भूमिका सलाहकारी और वशिषिट होगी।

कार्य

- महिलाओं और बच्चों से संबंधित पोषण के बारे में तकनीकी सुझाव देना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक उपायों (व्यवहार परविरतन सहति) पर सलाह देना।
- मौजूदा वैज्ञानिक और परचालित अनुसंधान का वशि्लेण करना, शोध अंतराल की पहचान करना और अनुसंधान संबंधी वषियों पर तकनीकी सफारिशें देना।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, अन्य कषेत्रों तथा संस्थानों द्वारा परस्तावति पोषण सर्वेक्षणों की रूपरेखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं अन्य सर्वेक्षणों के साथ उनकी संबद्धता का तकनीकी रूप से मार्गदर्शन करना।
- भारत वशिषिट वकिस संकेतकों का नरिमाण करना।

